



Operation Conviction बरेली पुलिस

METICULOUS INVESTIGATION & CONVICTION



श्री मानुष पारीक
पुलिस अधीक्षक दक्षिणी/नोडल अधिकारी
ऑपरेशन कन्विकशन जनपद बरेली।

श्री अनूप कोहरवाल एडीजीसी
एडीजे-04 ईसी एक्ट कोर्ट
जनपद बरेली।

म0का0 541 छाया चैधरी
कोर्ट मोहरिं एडीजे-04 ईसी
एक्ट कोर्ट बरेली

का0 महेन्द्र कोर्ट
पैरोकार थाना आवला
जनपद बरेली।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन कन्विकशन अभियान के अन्तर्गत चिन्हित सनसनीखेज वाद में आज दिनांक 24-06-2024 को श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र बरेली के निर्देशन एवं श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय के कुशल नेतृत्व एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक दक्षिणी/नोडल अधिकारी आपरेशन कन्विकशन जनपद बरेली व थाना के पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में माननीय न्यायालय एडीजे-04 कोर्ट जनपद बरेली द्वारा थाना आंवला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 185/2017 धारा 307/323/324/325/504 भादवि0 में अभियुक्त दुर्वेश पुत्र जहेन्द्र नि0 ग्राम कनगाँव थाना आवला जनपद बरेली को दोषसिद्ध करते हुए धारा-307 भादवि0 में 07 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000रू0 का अर्थदण्ड व धारा-325 भादवि0 में 05 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000रू0 अर्थदण्ड व धारा-324 भादवि0 में 03 वर्ष का कारावास व 2,000रू0 का अर्थदण्ड व धारा-323 भादवि0 में 01 वर्ष का कारावास व 500रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। (कुल अर्थदण्ड-17,500रू0)

